

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गौयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 433-पीबीआर/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 25-9-2013 पारित द्वारा  
नायब तहसीलदार नजूल बैरागढ़ वृत्त भोपाल के प्रकरण क्रमांक 09/अ-12/2012-13 .

1-अशोक कुमार जागड़े आत्मज श्री कुंवर जागड़े

2-मनोहर लाल बाथरी आत्मज श्री छोटेलाल बाथरी

दोनों निवासी 175, अर्जुन नगर, लाउखेड़ी तहसील हुजूर,

भोपाल

.....आवेदकगण

विरुद्ध

श्रीमती शाहीन आसिफ पत्नी श्री फारूख अमान

निवासी ई-5 कहकशों अपार्टमेंट

फेस-2 कोहेफिजा भोपाल

.....अनावेदिका

श्री राजेश ठाकुर, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री सी0एम0विश्वकर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार नजूल बैरागढ़ वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम लाउखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 147 रकबा 0.202 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 148 रकबा 0.178 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु

*02/10/16*

*02/10/16*

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/अ-12/12-13 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 25-9-2013 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) आवेदक क्रमांक 1 द्वारा सर्वे क्रमांक 142, 143, 145, 144, 147, 148 व 214 कुल रकबा 6.90 एकड़ में से 0.0344 एकड़ अर्थात् 1500 वर्गफीट भूमि दिनांक 18-2-2002 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है एवं अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा 6.90 एकड़ में से 0.0849 एकड़ अर्थात् 3700 वर्गफीट भूमि क्रय की गई है ।
- (2) उपरोक्त भूमियाँ क्रय की जाकर आवेदकगण का नामान्तरण हो गया है एवं उनके द्वारा मकान निर्माण किया जाकर वे निवासरत् हैं तथा नगर निगम में संपत्तिकर एवं जलकर जमा कर रहे हैं तथा विद्युत मीटर भी लगवाया गया है । अनावेदक द्वारा विक्रेता से मिलकर आवेदकगण की भूमि पर अपना नाम दर्ज कराया गया है जो कि अवैधानिक कार्यवाही है ।
- (3) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है ।
- (4) सीमांकन प्रतिवेदन में मकान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जबकि वर्ष 2007 से ही प्रश्नाधीन भूमि पर मकान निर्मित है ।
- (5) आवेदकगण के मकान के आस-पास अन्य मकान बना होने से सही ढंग से सीमांकन नहीं किया जा सकता है ।

(6) सीमांकन स्थल पर नहीं किया जाकर मनमाने ढंग से एक ही जगह बैठकर किया गया है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक को 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्थ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । यहाँ यह भी विचारणीय है कि प्रश्नाधीन भूमि की अनावेदिका अभिलिखित भूमिस्वामी है और उसके आवेदन पत्र पर ही उसकी भूमि








का सीमांकन किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम भी दर्ज नहीं है, इस कारण उन्हें सीमांकन आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं था । दर्शित परिस्थितियों में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार नजूल बैरागढ़ वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।



  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर